

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1119 / 2009 / जयपुर.

अपील संख्या - 1120 / 2009 / जयपुर.

अपील संख्या - 1121 / 2009 / जयपुर.

अपील संख्या - 1122 / 2009 / जयपुर.

अपील संख्या - 1123 / 2009 / जयपुर.

मैसर्स हिन्दुस्तान बिजनेस कम्प्यूटर सिस्टम,
तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, सम्भाग-प्रथम, जयपुर

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री खेमराज, सदस्य अध्यापक

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन. के. बैद,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 19/09/2016

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये पाँच अपीलें उपायुक्त (अपील्स), द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 67, 68, 69, 70 व 71/अपील्स-11/आरवीएटी/जयपुर/बी/2008-09 में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 31.08.2009 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, सम्भाग-प्रथम, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा वेट अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 के तहत पारित किये गये पृथक-पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 01.02.2008 के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किया है, को विवादित किया गया है।

2. इन पाँचों अपीलों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने से पाँचों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

लगातार.....2


3. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी फर्म के सर्वेक्षण दिनांक 14.09.2007 को प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा मल्टीफंक्शनल प्रिंटर की बिक्री पर 4 प्रतिशत की दर से वैट वसूल किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मल्टीफंक्शनल प्रिंटर को अधिनियम की अनुसूची-IV में अधिसूचित नहीं होने से इसे अनुसूची-IV में विहित कर दर 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य होना मानकर 8.5 प्रतिशत की दर से अन्तर कर आरोपित किया है तथा आरोपित कर राशि के अदत्त रहने के कारण अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत ब्याज आरोपित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा जानबूझकर अपने हितार्थ 8.5 प्रतिशत की दर से कर का अपवंचन किया जाना मानकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की गयी है, जिनका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :-

क्र.सं.	अपील संख्या	कर निर्धारण अवधि	कर	ब्याज	शास्ति	कुल राशि
1.	1119/2009	01.04.06 से 30.06.06	18,227	3,645	36,454	58,326
2.	1120/2009	01.07.06 से 30.09.06	30,809	5,238	61,618	97,665
3.	1121/2009	01.10.06 से 31.12.06	70,061	9,809	1,40,122	2,19,992
4.	1122/2009	01.01.07 से 31.03.07	93,109	10,242	1,86,218	2,89,569
5.	1123/2009	01.04.07 से 30.06.07	1,31,047	10,484	2,62,094	4,03,625

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने बहस में कथन किया है कि मल्टीफंक्शनल प्रिंटर्स पर कर दर के बिन्दु का विवाद माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.एस.टी.आर. नं० 24/2015 व 21/2010 क्रमशः मैसर्स कोरस इण्डिया लिमिटेड, एवं अन्य बनाम सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान जयपुर व ह्यूलेट पैकर्ड इण्डिया सैल्स प्रा. लिमिटेड, एवं अन्य बनाम उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर के मामले में दिये गये निर्णय दिनांक 19.02.2016 न्यायिक दृष्टान्त टैक्स अपडेट वोल्यूम 44 पार्ट 6, 2016 पृष्ठ 145 निर्णीत हो चुका है, जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने मल्टीफंक्शनल प्रिंटर्स को वैट अधिनियम की अनुसूची-IV में 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य होना निर्णीत किया है।

5. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त पैरा 4 में संदर्भित निर्णय होने को स्वीकार किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया व पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।



7. अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधियों में मल्टीफंक्शनल प्रिंटर की बिक्री की गई है। मल्टीफंक्शनल सिस्टम की कर दर अधिसूचित नहीं होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त मल्टीफंक्शनल सिस्टम को सामान्य कर दर अर्थात् 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य होना माना गया है।

8. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा मल्टीफंक्शनल प्रिंटर/डिवाइस जिससे स्केनिंग, फोटोकॉपी, फैक्स व प्रिंटिंग का विक्रय किया गया जिस पर 4 प्रतिशत की दर से कर वसूल करते हुए किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त उत्पाद को कम्प्यूटर पेरिफेरल्स की श्रेणी में नहीं मानते हुए, सामान्य दर से कर योग्य मानते हुए तदनुसार 8.5 प्रतिशत की दर से अन्तर कर, ब्याज व करापवंचन के लिये धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 44 टैक्स अपडेट पार्ट-6 पेज-145 मैसर्स कोरस (इण्डिया) लिमिटेड व अन्य बनाम सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर प्रतिकरापवंचन, राजस्थान-1, जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 19.02.2016 का ससम्मान अध्ययन किया गया। उक्त निर्णय में व्यवस्था दी गयी है कि -

"Classification of goods - Multifunctional Devices - These revision petition are about the rate of taxability on "Multifunctional Devices." These devices carry out the functions of scanning, photocopier, fax machine and as computer printer. Rajasthan Tax Board held that such multifunctional devices are not computer printers or computer peripherals, taxable @ 4% under schedule-IV of the VAT Act, but are taxable, for aforesaid period @ 12-5% / 14% in the residuary entry of schedule-V of the said Act. Rajasthan High Court Jaipur bench while allowing the revision petition of assessee held that :- Upon a detailed analysis, and with reference to various technical literature and material, the case laws in favour of the Assesseees, this Court is satisfied that the commodity in question, namely, Multi Functional Device could not be taxed by the Assessing Authority under the Residuary Entry for the period 01.04.2006 to 09.03.2010, and the said commodity would fall within the ambit and scope of entry relating to computer printers and computer peripherals, taxable @4% in Schedule-IV of the VAT Act. The levy of tax in the Residuary Entry @12.5% / 14% therefore, cannot be upheld, and to that extent, the order impugned of the learned Tax Board and the authorities below deserve to be quashed and set aside. They are

लगातार.....4


accordingly set aside. As far as the question of imposition of interest and penalty is concerned, this Court is also satisfied that the levy of interest would fall, since the levy of additional tax itself is quashed by the Court, and the question of imposition of penalty, therefore, would not simply arise."


9. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय में दी गयी व्यवस्था के आलोक में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत उत्पाद मल्टी फंक्शनल प्रिंटर पर वेट अधिनियम की अनुसूची-IV के अनुसार ही कर देयता बनती है, जो कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपने ग्राहकों से वसूल की जाकर राजकोष में जमा करवाई गयी है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विवादित माल को अनुसूची-V अनुसार करयोग्य मानते हुए तदनुसार अन्तर कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया जाना विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित अन्तर कर, ब्याज व शास्ति की पुष्टि किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है।

10. अतएव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों के अनुसरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित अन्तर कर, ब्याज व शास्ति अपास्त किये जाने योग्य होने से अपास्त किये जाते हैं।

11. परिणामस्वरूप, अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत पांचों अपीलों स्वीकार करते हुए, अपीलीय आदेश दिनांक 31.08.2009 अपास्त किया जाता है।

12. निर्णय सुनाया गया।


19.08.2009
(मनोहर पुरी)
सदस्य


(खेमराज)
अध्यक्ष